

Contractual Advertisement (Updated Vacancy)

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया में निम्नलिखित पदों पर वॉक-इन इन्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है, जो पूर्णतय: संविदा के आधार पर है, इन पदों पर नियुक्ति चयनोपरान्त अधिकतम 01 वर्ष का या नियमित संकायों के कार्यभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, तक के लिये की जायेगी।

- स्थान, दिनांक एवं समय निम्नवत है-
क- कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय रामबद्ध 100 शैय्या युक्त जिला चिकित्सालय विचौली औरैया उ0प्र0-206122
ख-साक्षात्कार की तिथि प्रत्येक कार्यदिवस में।
ग-समय 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक।

पदों की संख्या निम्नवत है-

Sr. no	Name of Specialty	Professor		Associate Professor		Assistant Praofessor		Senior Resident	
		Posts	Category	Posts	Category	Posts	Category	Posts	Category
1	Orthopedics	01	OBC	01	SC	01	UR	-	--
2	Ophthalmology	01	EWS	01	SC	-	-	-	--
3	Obstetrics and Gynecology	01	SC	01	UR	01	OBC	-	--
4	Anatomy	01	OBC	-	-	01	OBC	01	OBC
5	Anesthesiology	01	UR	01	SC	02	UR	01	EWS
				01	UR			01	OBC
				01	UR	01	OBC	01	SC
6	Community Medicine	-	-	01	SC	02	SC	01	SC
	UHTC	-	-	-	-	-	-		
	RHTC	-	-	-	-	01	OBC		
	STATISTICIAN (Minimum Asst Prof. Level)	-	-	-	-	-	-		
7	General Medicine	01	SC	02	UR	01	SC	02	OBC
				01	OBC			01	SC
				01	UR			01	OBC
8	General Surgery	01	UR	01	UR	01	OBC	01	OBC
				02	OBC			01	OBC
9	Dermatology leprosy and Venereology	-	-	01	SC	01	OBC	01	EWS
10	Pediatrics	01	OBC	01	OBC	01	OBC	01	UR
								01	SC
11	Pharmacology	01	SC	01	SC	01	OBC	01	OBC
								01	EWS
								01	UR
12	Physiology	01	OBC	-	-	-	-	01	UR
								01	SC
13	Forensic Medicine	01	UR	01	OBC	01	UR	01	UR
14	Biochemistry	-	-	-	-	01	OBC	01	UR
								01	SC
15	Microbiology	01	OBC	01	UR	01	SC	-	-
16	Radio -Diagnosis	01	UR	01	OBC	01	SC	01	OBC
17	Psychiatry	-	-	01	EWS	-	-	01	SC
18	Pathology	01	UR	01	UR	01	EWS	01	UR
						01	SC	01	OBC
19	Oto-rhino-laryngology (ENT)	01	SC	01	OBC	-	-	-	-
20	Dentistry	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15		21		21		23	

नियम एवं शर्तें-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या- 109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार नियत वेतन (आचार्य हेतु रू0 2,20,000.00, सह-आचार्य हेतु रू0 1,60,000.00 तथा सहायक आचार्य हेतु रू0 1,20,000.00) प्रतिमाह देय होगा। सीनियर रेजीडेन्ट वेतनबैंड रू0-15600-39100 ग्रेड पे-6600/- पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स लेवल-11 रू0-(66700-208700) आयु अधिकतम-45 वर्ष से अधिक न हो।
- वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- चिकित्सा शिक्षकों एवं सीनियर रेजीडेन्ट की तैनाती अर्हता एवं शैक्षणिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों/एस0आर0 की सेवानियमावली 2022-23 में निहित के अनुसार होगी। (Saving Clause- Not with Standing anything contained in these Regulation, any appointment made under the Minimum Qualification for Teacher in Medical Institution Regulation, 1998 or the recommendation of Councils prior to that, shall be protected.) All qualification Subjected to the latest NMC notification.

शुल्क:—रूपये 500/—(रु पाँच सौ मात्र) का आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, या के पक्ष में देय होगा।

शासनादेश संख्या— 562/71-1-2000-जी-63/2008 दिनांक 10.06.2020 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की संविदा पर अधिकतम आयु सीमा सहायक आचार्य—60 वर्ष, सह-आचार्य—64 वर्ष एवं आचार्य—68 वर्ष एवं एस0आर0—45 वर्ष निर्धारित है। उक्त आयु वाले ही अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।

6. संस्थान में प्रतिदिन निर्धारित कार्य अवधि में चिकित्सा शिक्षक (प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक) में प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. ओपी0डी0 (कॉल-डे) के दिन संविदा चिकित्सा शिक्षक प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
8. संविदा चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान प्रधानाचार्य को सूचित करना होगा।
9. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकरिमक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा ड्यूटी पर उपलब्ध रहना होगा।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का कार्यकाल 01 वर्ष एवं एस0आर0 की संविदा कार्यकाल 03 माह एवं अधिकतम 01 वर्ष का होगा एवं शासन/महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार समय सीमा बढ़ाई जायेगी।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों/एस0आर0 की सेवाये नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षको/सेवाबाण्ड एस0आर0 के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह के नोटिस देकर भी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को आदेश जारी होने के 01 सप्ताह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
13. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक/एस0आर0 भविष्य में विनियमितिकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।"
15. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं हैं।
16. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को शपथ-पत्र के साथ कि उन्हें संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा रहा है।
17. साक्षात्कार के समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र 01 वर्ष (तत्कालीन वर्ष का) से ज्यादा और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र 06 माह से ज्यादा का मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होगा।
18. पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
19. उक्त संविदारत पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य/चयनसमिति की संस्तुति के आधार पर अंतिम चयन महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/उत्तरप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर से पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों को समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

Dh

प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
औरैया।